प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2015**

विषय:- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक 2401-800-03-0306 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें के अन्तर्गत राजभवन में आर्गेनिक वेस्ट से कम्पोस्ट तैयार करने हेतु आधुनिक संयंत्र की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 359-062/बजट आयोजनागत/2014-15 दिनांक 09 मार्च, 2015 के संदर्भ में तथा कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 395/12-3-2015-100(46)/2008 दिनांक 27.02.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 0306- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें के अन्तर्गत राजभवन में आर्गेनिक वेस्ट से कम्पोस्ट तैयार करने हेतु आधुनिक संयंत्र की स्थापना हेतु उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.02.2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1100 हजार (रूपये ग्यारह लाख) मात्र के व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त शासनादेश दिनांक 27.02.2015 में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1- उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर अनुदान संख्या-11 के अधीन सम्बन्धित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियन्त्रक तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3- व्यय भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

4- अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

5- अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण 31 मार्च, 2015 तक उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 4/2015/564(1)/58-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) सम्बन्धित कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(6) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त नियन्त्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in